



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jda@jodhpur.org / yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/1505 दिनांक:- 26/09/2023

-:बैठक कार्यवाही विवरण:-

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक प.17(1)नवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक 26.09.2023 उपायुक्त (जोन-6) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है:-

एजेण्डा संख्या	विषय (जेड.एल.सी. बैठक दिनांक 26.09.2023)
01	राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 2063/1572 सर्वेयर अनुसार 11416.56 भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण के तथ्य :-

- पत्रावली के पैरा संख्या 4 पर अंकित पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत योजना वर्ष 31.12.2021 से पूर्व की है तथा आवेदित भूमि पर मौके पर लगभग 10 प्रतिशत से अधिक भूखण्ड निर्मित है।
- जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल 11978.30 वर्गमीटर सर्वेयर अनुसार 11416.56 वर्गमीटर
- पत्रावली के पैरा संख्या 8 पर अंकित रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 2063/1572 विधि शाखा में वाद लम्बित नहीं है
- पत्रावली के पैरा संख्या 12 पर अंकित रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 2063/1572 अवाप्ति विचाराधीन नहीं है।
- पटवारी रिपोर्ट की रिपोर्ट पत्रावली के पैरा संख्या 4 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौका अनुसार 100 फीट पट्टा मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
- प्रकरण के पृष्ठ संख्या 46 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि के आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार न्यूनतम 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	प्रयोजन	कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर में	प्रतिषत
1.	आवासीय	7822.26	68.51
2.	सडक	3594.30	31.49
	कुल	11416.56	100.00

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

- एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार प्रस्तुत ले-आउट प्लान में 4365.41 वर्गमीटर भूमि जमाबंदी से अधिक है। जिसकी नियमानुसार राशि लिये जाने की सुनिश्चता जोन स्तर से की जावे।
- आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
- एजेण्डा के बिन्दु संख्या 6 के क्रम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सडक की सुनिश्चता की जावे।

4. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
5. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय (जेड.एल.सी. बैठक दिनांक 26.09.2023)
02	राजस्व ग्राम चैनपुरा के खसरा संख्या 316 सर्वेयर अनुसार 4889.31 भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण के तथ्य :-

1. पत्रावली के पैरा संख्या 9 पर अंकित पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत योजना वर्ष 31.12.2021 से पूर्व की है तथा आवेदित भूमि पर मौके पर लगभग 10 प्रतिशत से अधिक भूखण्ड निर्मित है।
2. जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल 3561.12 वर्गमीटर सर्वेयर अनुसार 4889.31 वर्गमीटर है।
3. पत्रावली के पैरा संख्या 4 पर अंकित रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 316 विधि शाखा में वाद लम्बित नहीं है।
4. पत्रावली के पैरा संख्या 7 पर अंकित रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 316 अवाप्ति विचाराधीन नहीं है।
5. पटवारी रिपोर्ट की रिपोर्ट पत्रावली के पैरा संख्या 9 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौका अनुसार 100 फीट पहुच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
6. प्रकरण के पृष्ठ संख्या 20 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि के आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार न्यूनतम 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	प्रयोजन	कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर में	प्रतिशत
1.	आवासीय	3034.80	62.08
2.	सडक	1854.51	37.92
	कुल	4889.31	100.00

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

1. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार प्रस्तुत ले-आउट प्लान में 1328.19 वर्गमीटर भूमि जमाबंदी से अधिक है। जिसकी नियमानुसार राशि लिये जाने की सुनिश्चिता जोन स्तर से की जावे।
2. आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 6 के क्रम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सडक की सुनिश्चिता की जावे।
4. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
5. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि

aj

[Signature]

पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय (जेड.एल.सी. बैठक दिनांक 26.09.2023)
03	राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा संख्या 15 सर्वेयर अनुसार 7876.67 भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण के तथ्य :-

1. पत्रावली के पैरा संख्या 3 पर अंकित पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत योजना वर्ष 31.12.2021 से पूर्व की है तथा आवेदित भूमि पर मौके पर लगभग 10 प्रतिशत से अधिक भूखण्ड निर्मित है।
2. जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल 8012.51 वर्गमीटर सर्वेयर अनुसार 7876.67 वर्गमीटर है।
3. पत्रावली के पैरा संख्या 7 पर अंकित रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 15 विधि शाखा मे वाद लम्बित नहीं है
4. पत्रावली के पैरा संख्या 11 पर अंकित रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 15 अवाप्ति विचाराधीन नहीं है।
5. पटवारी रिपोर्ट की रिपोर्ट पत्रावली के पैरा संख्या 3 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौका अनुसार 30 फीट पहुच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
6. प्रकरण के पृष्ठ संख्या 1 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि के आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार न्यूनतम 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	प्रयोजन	कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर में	प्रतिशत
1.	आवासीय	5476.64	69.53
2.	सडक	2400.63	30.47
	कुल	7876.67	100.00

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

1. प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चता जोन स्तर पर की जावे।
2. आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 6 के क्रम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सडक की सुनिश्चता की जावें।
4. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
5. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

u

[Signature]

एजेण्डा संख्या	विषय (जेड.एल.सी. बैठक दिनांक 26.09.2023)
04	राजस्व ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 6 सर्वेयर अनुसार 46504.55 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण के तथ्य :-

1. पत्रावली के पैरा संख्या 3 पर अंकित पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत योजना वर्ष 31.12.2021 से पूर्व की है तथा आवेदित भूमि पर मौके पर लगभग 10 प्रतिशत से अधिक भूखण्ड निर्मित है।
2. जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल 40994.31 वर्गमीटर सर्वेयर अनुसार 46504.55 वर्गमीटर है।
3. पत्रावली के पैरा संख्या 7 पर अंकित रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 6 विधि शाखा मे वाद लम्बित नही है
4. पत्रावली के पैरा संख्या 10 पर अंकित रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 6 अवाप्ति विचाराधीन नही है।
5. पटवारी रिपोर्ट की रिपोर्ट पत्रावली के पैरा संख्या 3 पर सलंगन है जिसके अनुसार मौका अनुसार 25-30 फीट पहुच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
6. प्रकरण के पृष्ठ संख्या 17 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि के आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार न्यूनतम 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	प्रयोजन	कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर में	प्रतिषत
1.	आवासीय	30889.53	66.42
2.	सुविधा क्षेत्र	792.32	1.71
3.	सडक	14822.70	31.87
	कुल	46504.55	100.00

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

1. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार प्रस्तुत ले-आउट प्लान मे 5510.24 वर्गमीटर भूमि जमाबंदी से अधिक है। जिसकी नियमानुसार राशि लिये जाने की सुनिश्चताजोन स्तर से की जावें।
2. आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 6 के क्रम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सडक की सुनिश्चितता की जावें।
4. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
5. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय (जेड.एल.सी. बैठक दिनांक 26.09.2023)
5	राजस्व ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 266, 267 सर्वेयर अनुसार 14351.44 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।





प्रकरण के तथ्य :-

1. पत्रावली के पैरा संख्या 3 पर अंकित पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत योजना वर्ष 31.12.2021 से पूर्व की है तथा आवेदित भूमि पर मौके पर लगभग 10 प्रतिशत से अधिक भूखण्ड निर्मित है।
2. जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल 14269.09 वर्गमीटर सर्वेयर अनुसार 14351.44 वर्गमीटर है।
3. पत्रावली के पैरा संख्या 7 पर अंकित रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 266, 267 विधि शाखा में वाद लंबित नहीं है
4. पत्रावली के पैरा संख्या 11 पर अंकित रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 266 अवाप्ति हेतु विचाराधीन नहीं है तथा खसरा संख्या 267 की भूमि आर.ओ.बी. निर्माण हेतु अवाप्त की गयी है।
5. पटवारी रिपोर्ट की रिपोर्ट पत्रावली के पैरा संख्या 3 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौका अनुसार 30 फीट पहुच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
6. प्रकरण के पृष्ठ संख्या 8 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि के आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार न्यूनतम 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	प्रयोजन	कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर में	प्रतिशत
1.	आवासीय	7486.60	52.16
2.	Safety Corridor	1896.21	13.22
3.	सड़क	4966.63	34.62
	कुल	14351.44	100.00

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

1. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार प्रस्तुत ले-आउट प्लान में 82.38 वर्गमीटर भूमि जमाबंदी से अधिक है। जिसकी नियमानुसार राशि लिये जाने की सुनिश्चताजोन स्तर से की जावे।
2. आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 6 के क्रम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सड़क की सुनिश्चता की जावे।
4. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
5. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय (जेड.एल.सी. बैठक दिनांक 26.09.2023)
07	राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1721, 1710, 1721/7 से 1721/11 सर्वेयर अनुसार 21291.73 भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण के तथ्य :-

1. पत्रावली के पैरा संख्या 23 पर अंकित पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत योजना वर्ष 31.12.2021 से पूर्व की है तथा आवेदित भूमि पर मौके पर लगभग 10 प्रतिशत से अधिक भूखण्ड निर्मित है।





2. जमाबंदी अनुसार 22418.85 वर्गमीटर सर्वेयर के अनुसार 21291.73 वर्गमीटर है।
3. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 39 पर अंकित रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1721, 1710, 1721/7 से 1721/11 विधि शाखा मे वाद लम्बित नही है।
4. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 37, 38 पर अंकित रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1721, 1710, 1721/7 से 1721/11 अवाप्ति विचाराधीन नही है।
5. पटवारी रिपोर्ट की रिपोर्ट पत्रावली के पैरा संख्या 23 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौका अनुसार 30 फीट पहुच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
6. प्रकरण के पृष्ठ संख्या 72 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि के आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार न्यूनतम 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	प्रयोजन	कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर में	प्रतिशत
1.	आवासीय	13732.61	64.49
2.	सडक	7559.12	35.51
	कुल	21291.73	100.00

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

1. प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो, की सुनिश्चता जोन स्तर पर की जावे।
2. आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 6 के क्रम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सडक की सुनिश्चता की जावें।
4. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
5. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय (जेड.एल.सी. बैठक दिनांक 26.09.2023)
08	राजस्व ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 148 सर्वेयर अनुसार 19969.97 (सर्वेयर अनुसार) भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण के तथ्य :-

1. पत्रावली के पैरा संख्या 15 पर अंकित पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत योजना वर्ष 31.12.2021 से पूर्व की है तथा आवेदित भूमि पर मौके पर लगभग 10 प्रतिशत से अधिक भूखण्ड निर्मित है।
2. जमाबंदी अनुसार 18857.73 वर्गमीटर सर्वेयर के अनुसार 19969.97 वर्गमीटर है।
3. पत्रावली के पैरा संख्या 23 पर अंकित रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 148 विधि शाखा मे वाद लम्बित नही है।
4. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 17-18 पर अंकित रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 148 अवाप्ति विचाराधीन नही है।







5. पटवारी रिपोर्ट की रिपोर्ट पत्रावली के पैरा संख्या 15 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौका अनुसार 30 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
6. प्रकरण के पृष्ठ संख्या 24 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि के आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार न्यूनतम 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है:-


क्र.सं.	प्रयोजन	कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर में	प्रतिशत
1.	आवासीय	13935.18	69.78
2.	सड़क	6034.79	30.22
	कुल	19969.97	100.00


निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

1. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार प्रस्तुत ले-आउट प्लान में 1112.24 वर्गमीटर भूमि जमावंदी से अधिक है। जिसकी नियमानुसार राशि लिये जाने की सुनिश्चता जोन स्तर से की जावे।
2. आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 6 के क्रम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सड़क की सुनिश्चता की जावे।
4. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
5. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।


तहसीलदार/अमीन
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


अधि./ सहा. अभियन्ता
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



सहायक नगर नियोजक (जोन-6)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


उपायुक्त (जोन-6)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./ 2023/1506-11.
प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक:- 26/09/2023

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
4. उपायुक्त जोन-6, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशाषी/सहायक अभियन्ता, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
6. तहसीलदार/अमीन, जो.वि.प्रा., जोधपुर।


सहायक नगर नियोजक (जोन-6)
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर